



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269753
CG-DL-E-01022026-269753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 82]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 01/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 85(अ).— वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद, जो उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित है, के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य माल जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट हैं, जिन पर वित्त अधिनियम, 2001 की सातवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क लगता है, को उक्त अनुसूची के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना उक्त तालिका के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है:

तालिका

क्र. सं.	शीर्ष और उप-शीर्ष और टैरीफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2403 99 10	चबाने वाली तंबाकू	25%
2.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	25%
3.	2403 99 90	सभी माल	25%

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 334/05/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 01/2026-Central Excise

G.S.R. 85(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 read with section 136 of Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the National Calamity Contingent Duty specified thereon in the Seventh Schedule to the Finance Act, 2001 as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

Sl. No.	Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2403 99 10	Chewing tobacco	25%
2.	2403 99 30	Jarda scented tobacco	25%
3.	2403 99 90	All goods	25%

2. This notification shall come into force on the 1st day of May, 2026.

[F. No. 334/05/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 02/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 86(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

- (i) क्र.सं. 3 के समक्ष, स्तंभ (3) में, मद (ii) के पश्चात्, परंतुक में, “2026” अंकों के स्थान पर अंक “2028” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्र.सं.9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“9क.	2711 21 00	संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) जब बायोगैस या संपीडित बायोगैस (सीबीजी) के साथ सम्मिश्र हो स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के गणना हेतु ऐसी सम्मिश्र संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्य में, ऐसी सम्मिश्र संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में अंतर्विष्ट बायोगैस या संपीडित बायोगैस (सीबीजी) का मूल्य और ऐसी बायोगैस या संपीडित बायोगैस (सीबीजी) पर संदत्त की गई, यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर की राशि, अपवर्जित होगी	14%”;

(ख) अनुलग्नक के पश्चात्, परंतुक में, मद (ख) में, “2026” अंकों के स्थान पर अंक “2028” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण 3.- सारणी के क्रम संख्या 9क के समक्ष स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजन के लिए, “समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर” से तात्पर्य केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,

2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्गृहीत किए जाने वाले क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से है।”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/05/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 107(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 01/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 02/2026-Central Excise

G.S.R. 86(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(a) in the Table,-

- (i) against Sl. No. 3, in column (3), after item (ii), in the proviso, for the figures “2026”, the figures “2028” shall be substituted;
- (ii) after Sl. No. 9 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9A.	2711 21 00	Compressed Natural Gas (CNG) when blended with Biogas or Compressed Biogas (CBG) Explanation:- For the purpose of computation of excise duty under this entry, value of such blended Compressed Natural Gas (CNG) shall exclude the value of Biogas or Compressed Biogas (CBG) contained in such blended Compressed Natural Gas (CNG) and the amount of appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax, as the case may	14%”;

		be, paid on such Biogas or Compressed Biogas (CBG)	
--	--	--	--

- (b) after Annexure, in the proviso, in item (b), for the figures “2026”, the figures “2028” shall be substituted;
(c) after *Explanation 2*, the following explanation shall be inserted, namely:-

“**Explanation 3.**- For the purpose of goods described in column (3) against serial number 9A of the Table, “appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax” means the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), respectively. ”.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2026.

[F. No. 334/05/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 01/2025-Central Excise, dated the 1st February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 107 (E), dated the 1st February, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 03/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 87(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 78 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित हुई थी, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/05/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 03/2026-Central Excise

G.S.R. 87(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2023-Central Excise, dated the 1st February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 78(E), dated the 1st February, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2026.

[F. No. 334/05/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269760
CG-DL-E-01022026-269760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 86]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 04/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 91(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 जिसे सा.का.नी. संख्या 955 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

(i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	2401	अविनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट, जिसपे कोई ब्रांड का नाम ना हो और वह रिटेल सेल के लिए पैक ना हो	शून्य";

(ii) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क.	2401	अविनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट, ऊपर दिए गए क्रम सं.1 के अलावा	18%"।

[फा. सं. सी.बी.आई.सी.-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:-मूल अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को सा.का.नी. संख्या 955(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 04/2026-Central Excise

G.S.R. 91(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2025-Central Excise, dated the 31st December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 955(E), dated the 31st December, 2025, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) For Sl. No. 1, and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	2401	Unmanufactured tobacco or tobacco refuse, not bearing a brand name and not packed for retail sale	Nil";

(ii) after Sl. No.1, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1A.	2401	Unmanufactured tobacco or tobacco refuse, other than Sl. No. 1 above	18%".

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 03/2025-Central Excise, dated the 31st December, 2025, vide number G.S.R. 955(E), dated the 31st December, 2025.